

अर. २०
अहकाम
हुक्म की तारीख
में जारी हु

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

उक्त सहमति विभाजन को अमान्य कर
जैसे सिरे से विभाजन पारित करने के
भोडरा दिने गये हैं और उक्त पूर्व
विभाजन ही निरस्त हो जाने के कारण,
पूर्व में विभाजन के सम्बन्ध में तरमीन
शुद्धि के इस अभियोग का कोई भौतिक
मही रह जाता है। अतः प्राप्ति का अन्त
इसी स्थिति में खालि किया जाता है। अतः
वही फल ही हुआ होकर अन्त
सकत हो, इति। इति। इति।

उपखण्ड अधिकारी, बायलु
जिला - बालोतरा

